FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0038 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/02/2026 20:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 06/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:48 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/02/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/02/2026 20:50:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** LAXMI MARRIAGE HOME KE SAMANE, KUMHER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHAGWAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PAIGHOR DANDU, KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PAIGHOR DANDU, KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH KUMAR GUPATA		पिता:CHANDRABHAN GUPATA	1. 509,KRISHANA NAGAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	DHIRENDRA SHRIVASTAV		पिता:LET. RAGHUVANSH SHRIVASTAV	1. GHER NASWARIYA GANGA MANDIR,MATHURAGATE,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		23,400.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 23,400.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार ब्यूरो भरतपुर। विषय- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जाट उम्र 50 साल निवासी पैंघोर दांदू पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग का रहने वाला हुं। मेरी नरेन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फर्म है। जिसमें मै व मेरे पुत्र पिन्टु सिंह पार्टनर है। मैने पीएस संस्कृत धनवाडा का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (2018-19) राजकीय संस्कृत प्राथमिक विधालय धनवाडा ब्लॉक कुम्हेर जिला भरतपुर के निर्माण के संबध में कार्य आदेश 29,18,483 लाख रूपये का दि. 01.10.2018 को प्राप्त हुआ था। उक्त कार्य की एसडी राशि वापस कराने के एवज में आरएमएसए कार्यालय भरतपुर में कुम्हेर ब्लॉक के जेईयन अपने व एईयन धीरेन्द्र श्रीवास्तव व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से 7.10 प्रतिशत के हिसाब से 23,400/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को कोई रिश्वत नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त दोनो कर्मचारियों से कोई उधार लेन देन बकाया नही है और ना कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। एस.डी.नरेन्द्र सिंह प्रार्थी नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जाट निवासी पैंघोर (दांदू) जिला डीग। मो.नं. एस.डी. सह परिवादी पिंटूसिंह , एसडी. अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर दिनांक 02.02.26, एसडी सत्यप्रकाश दिनांक 04.02.26 , एसडी. प्रवीण कुमार सैनी दिनांक 04.02.26 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 02.02.2026 समय - 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जाट उम्र 50 साल निवासी पैंघोर दांदू पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग मय अपने पुत्र श्री पिन्टु सिंह के उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति व दस्तावेजो के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जाट उम्र 50 साल निवासी पैंघोर दांदू पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग का रहने वाला हुं। मेरी नरेन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फर्म है। जिसमें मै व मेरे पुत्र पिन्टु सिंह पार्टनर है। मैने पीएस संस्कृत धनवाडा का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (2018-19) राजकीय संस्कृत प्राथमिक विधालय धनवाडा ब्लॉक कुम्हेर जिला भरतपुर के निर्माण के संबध में कार्य आदेश 29,18,483/- रूपये का दिनांक 01.10.2018 को प्राप्त हुआ था। उक्त कार्य की एसडी राशि वापस कराने के एवज में रमसा कार्यालय भरतपुर में कुम्हेर ब्लॉक के जेईयन अपने व एईयन धीरेन्द्र श्रीवास्तव व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम से 7.1 प्रतिशत के हिसाब से 23,400/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त दोनो कर्मचारियों से कोई उधार लेन देन बकाया नही है और नाही कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी व सहपरिवादी पिंटूसिंह से मजीद दरियाफ्त की गई तो नरेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे व मेरे पुत्र पिंटूसिंह के हस्ताक्षर हैं । संलग्न दस्तावेजों में कार्यालय अति0 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोन भरतपुर द्वारा दिनांक 09.01.2025 को जारी हुये परिवादी नरेन्द्र सिंह व उसके पुत्र पिन्टु सिंह के नाम से साझेदारी फर्म नरेन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर के आदेश की छायाप्रति है एवं परिवादी नरेन्द्र सिंह व उसके पुत्र श्री पिन्टु सिंह की फर्म नरेन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर को प्राप्त हुये राजकीय संस्कृत प्राथमिक विधालय धनवाडा ब्लॉक कुम्हेर जिला भरतपुर के निर्माण के संबध में कार्य आदेश छायाप्रति है तथा परिवादी नरेन्द्रसिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि कुम्हेर ब्लॉक के जेईएन का नाम राकेश कुमार गुप्ता होना बताया और बताया कि जेईएन राकेश कुमार गुप्ता मुझसे बात नही करेगा वह मेरे पुत्र पिंटूसिंह से बात करेगा। मजीद दरियाप्त व लिखित तहरीरी रिपोर्ट से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने

पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री अवधेश हैडकानि. नं. 68 से निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सैन डिस्क 16 जीबी डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व सहपरिवादी पिन्टू सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री लोकेश कुमार कानि नं.85 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह सह परिवादी श्री पिन्टू सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी नरेन्द्र सिंह के पुत्र श्री पिन्टु सिंह व श्री लोकेश कुमार कानि0 को परिवादी की स्कॉर्पियो गाडी से गोपनीय सत्यापन कराने की हिदायत देकर परिवादी के बतायेनुसार कस्बा भरतपुर रवाना किया गया तथा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत की गई। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.50 पी.एम. पर श्री लोकेश कुमार कानि. नं.85 मय सहपरिवादी पिन्टु सिंह के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये। श्री लोकेश कुमार कानि. से पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द प्राप्त किया गया। सहपरिवादी श्री पिन्टू सिंह ने बताया कि मै आपके कार्यालय के लोकेश कुमार कानि0 के साथ अपनी निजी स्कॉर्पियो गाडी से रवाना होकर एसबीआई बैंक कलैक्ट्रट शाखा भरतपुर के सामने पहुंचा जंहा लोकेश कुमार कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया। ततपश्चात जेईयन साहब का फोन आया कि आप मल्टीपरपज स्कूल के सामने भरतपुर आ जाओ मै आ रहा हुं उक्त वार्तालाप मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लोकेश कुमार कानि0 को सुपुर्द कर दिया जिसने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद लोकेश कुमार कानि0 ने कलैक्ट्रट कार्यालय भरतपुर के सामने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मै व लोकेश कुमार कानि0 अपनी निजी स्कॉर्पियो गाडी से रवाना होकर मल्टीपरपज स्कूल के सामने पहुंचे जंहा जेईयन साहब अपनी वैगनार गाडी में बैठे हुये थे मै अपनी गाडी से निकलकर जेईयन साहब की वैगनार गाडी में बैठ गया और मैने मेरे काम के संबध में व रिश्वत की बात की। जेईयन साहब अपने व एईयन धीरेन्द्र श्रीवास्तव , एडीपीसी, एएओ आदि के 7.1 प्रतिशत के हिसाब से 23,400/-रूपये रिश्वत की मांग की है। उक्त सारी वार्तालाप मैने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये। उक्त सारी वार्तालाप मैने साथ में गये हुये श्री लोकेश कुमार कानि. को बताई थी। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा श्री लोकेश कुमार कानि. से पूछने पर सह परिवादी श्री पिन्टु सिंह के उक्त कथनों की पुष्टि की गई। श्री लोकेश कुमार कानि. से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी व सह परिवादी के समक्ष चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी श्री नरेन्द्रसिंह ने भी रिकॉर्ड आवाज में से एक आवाज को राकेश कुमार जेईएन की होना बताया। इस पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। परिवादी व सह परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 03.02.26 को समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेन्द्रसिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि एईएन धीरेन्द्र श्रीवास्तव मेरे से रिश्वत सम्बंधी वार्तालाप कर सकता है । परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के कथनों से सत्यापन और स्पष्ट होने की संभावना है। अतः रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसे कल दिनांक 02.02.26 को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखा था को निकलवाकर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री लोकेश कुमार कानि नं.85 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी नरेन्द्र सिंह व श्री लोकेश कुमार कानि0 को लोकेश कुमार कानि की निजी मोटरसाईकिल से गोपनीय सत्यापन कराने की हिदायत देकर गंगा मन्दिर के सामने कस्बा भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 5.45 पी.एम. पर श्री लोकेश कुमार कानि. नं.85 मय परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये। श्री लोकेश कुमार कानि. से पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द प्राप्त किया गया। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया कि मै आपके कार्यालय के लोकेश कुमार कानि0 के साथ इनकी निजी मोटरसाईकिल से आपके कार्यालय से रवाना होकर गंगा मन्दिर के सामने पंहुचे जंहा लोकेश कुमार कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मै वंहा खडा हो गया तो एईयन साहब अपनी मोटरसाईकिल से वंहा आये । मैने एईयन साहब से मेरे काम के संबध में व रिश्वत की बात की। एईयन साहब ने कहा कि मेरी जेईयन से बात हो गई है आप 23,400/- रूपये जेईयन को दे देना तेरा काम हो जायेगा। उक्त सारी वार्तालाप मैने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। उक्त सारी वार्तालाप मैने साथ में गये हुये श्री लोकेश कुमार कानि. को बताई थी। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पूछने पर श्री लोकेश कुमार कानि. ने परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के पुत्र श्री पिन्टु सिंह के उक्त कथनों की पुष्टि की

गई। श्री लोकेश कुमार कानि. से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इस पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 04.02.26 को समय 10.15 एएम. पर श्री राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106 को निदेशक/उपनिदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर जिला भरतपुर के नाम तहरीर जारी कर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग से दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिससे रिश्वत राशि व सहपरिवादी पिंटूसिंह के संबध में पूछा तो बताया कि मै रिश्वत राशि का इंतजाम करके ले आया हूं मेरा पुत्र पिंटूसिंह किसी निजी कार्य में व्यस्त है। जिसको कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 11.45 एएम. पर रवानाशुदा श्री राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106 मय दो स्वतंत्र गवाह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम क्रमशः श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री विशनलाल जाति वैश्य उम्र 36 साल निवासी नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर एवं श्री प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सैनी जाति सैनी उम्र 33 साल निवासी नया कुआ वल्लमगढ रोड भुसावर पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर होना बताया जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से आपस में परिचय करवाकर ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए एवं परिवादी द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट को दोनों गवाहों को पढने को दी गई एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति ली गई तो दोनो गवाहों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 12.15 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जाट उम्र 50 साल निवासी पैंघोर दांदू पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग से आरोपीगणों धीरेन्द्र श्रीवास्तव एईएन एवं राकेश कुमार कनिष्ठ अभियंता (संविदा कर्मी) कार्यालय एडीपीसी समसा भरतपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 46 नोट व 200-200 रूपये के 02 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 23,400/-(तेईस चार सौ) रूपये अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिसमें से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के व 200-200 के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करा या गया। पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री अवधेश हैड कानि0 68 से मालखाना खुलवाकर श्री गम्भीर कानि नं. 475 से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री गम्भीर कानि नं. 475 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 23,400/-रूपये के नोटों को श्री गम्भीर कानि नं. 475 से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की बांयी तरफ की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री सत्यप्रकाश से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री गम्भीर कानि नं. 475 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्री गम्भीर कानि नं. 475 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। सरकारी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को आलमारी से निकालकर उसमें से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को निकालकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया एवं सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 16

जीबी डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री गम्भीर कानि नं. 475 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 1.20 पी.एम. पर थोडी देर पहले परिवादी व आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के मध्य मोबाइल वार्ता हुई जिन्हे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तत्पश्चात आरोपी राकेश कुमार गुप्ता जेईएन की उपस्थिति के बारे में परिवादी नरेन्द्रसिंह से जानकारी करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी ने फोन पर बताया कि मैं आपको बता दूंगा। ततपश्चात श्री गोकुलेश कानि0, श्री सुशील कानि0 को अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे श्री विनोद कानि0, श्री परसराम कानि0, श्री रितेश कानि0, मय स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश, श्री प्रवीण कुमार मय मेरी निजी कार से मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर , सरकारी डिजिटल वीडियो कैमरा के आगे आगे रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री लोकेश कुमार कानि0 85 , श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह अपनी निजी स्कॉर्पियो गाडी से व श्री सन्तोष कुमार हैडकानि को अपनी निजी कार के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा कुम्हेर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 02.20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी , ट्रेप उपकरण मय निजी वाहनो के रवानाशुदा लक्ष्मी मैरिज होम कुम्हेर पहुंचा। तत्पश्चात समय 02.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री नरेन्द्रसिंह ने फोन किया तो आरोपी ने बताया कि वो अभी किसी शादी में गया हुआ है आज आने की संभावना नही है, वह शुक्रवार को आएगा। अतः आज कार्यवाही की संभावना नही है। आदि पर स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश से परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के जेब में रखी रिश्वत राशि को निकलवाकर, रिश्वत राशि को एक सफेद कागज में रखकर लोकेश कानि के पास सुरक्षित रखवाया गया व परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय निजी वाहन मय पाउडरयुक्त रिश्वत रशि 23,400 रूपये मय लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स,वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय सरकारी कैमरा व अन्य साजो सामान के लक्ष्मी मैरिज होम कुम्हेर से रवाना होकर समय 4.00 पी.एम. पर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा। जहां पर रिश्वत राशि व वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 06.02.2026 को समय 10.30 एएम. पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह जरिए दूरभाष बताया कि राकेश कुमार गुप्ता जेईएन आज कुम्हेर इलाके में साइट विजिट कर रहा है वह आज मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप टीम को ब्रीफ किया गया एवं स्वतंत्र गवाहान का जरिए दूरभाष अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 11.00 एएम. पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण कुमार सैनी एवं श्री सत्यप्रकाश उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 11.30 एएम. पर फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 23,400 रूपये मय सफेद कागज व वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर श्री गम्भीरसिंह कानि नं. 475 को सुपुर्द कर, उसे उसकी निजी मोटर साईकिल से आगे-आगे रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री सुशील कानि0 नं. 557 व श्री कपिल सिंह नं. 168 को सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे-पीछे संतोष कुमार हैडकानि. नं. 58 मय श्री विनोद सिंह कानि नं 114 , श्री परसराम कानि. नं. 203 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान के निजी कार से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोकुलेश कानि0 454, रितेश कुमार कानि. 64, दिलीप सिंह कानि. 610, राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106 मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर , सरकारी डिजिटल वीडियो कैमरा मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राइवेट वाहन से परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के द्वारा बताए गये स्थान लक्ष्मी मैरिज होम कुम्हेर को वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 12.05 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट व सरकारी मोटरसाइकिल मय ट्रेप उपकरण , फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 23,400 मय अन्य ट्रेप सम्बंधी साजो सामान के परिवादी के बताए अनुसार लक्ष्मी मैरिज होम कुम्हेर पहुंचा जहां निजी व प्राईवेट एवं सरकारी वाहनों को साइड में खडा करवाया गया। जहां परिवादी श्री नरेन्द्रसिंह उपस्थित मिला। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गम्भीर सिंह कानि. के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि 23,400 रूपये को निकलवाकर राशि के नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तथा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री सत्यप्रकाश से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई अलावा मोबाइल के कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली । तत्पश्चात श्री गम्भीर सिंह कानि. द्वारा रिश्वत राशि 23,400 रूपये को परिवादी की पहनी हुई शर्ट के सामने की तरफ बांये जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई की अनावश्यक रूप से रिश्वत राशि को हाथ नही लगावे एवं आरोपी के मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें और ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त कर कहां रखता है साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत की परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि को रखने वाले श्री गम्भीर सिंह कानि. को एसीबी कार्यालय भरतपुर के लिए रवाना किया गया तत्पश्चात परिवादी को छोडकर समस्त टीम की जामा तलाशी एक दूसरे द्वारा लिवाई गई व सभी के हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया जाकर गया। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम. पर समय 12.22 पी.एम. से 01.29 पी.एम. की अवधि के दौरान

परिवादी व आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के मध्य हुई मोबाइल वार्ताओं को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 01.43 पीएम. पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाइल पर आरोपी राकेश कुमार गुप्ता का कॉल आया जिसे रिसीव करवाकर कॉल को लाउड स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कराया गया वार्तालाप के दौरान आरोपी ने स्वयं को लक्ष्मी मैरिज होम के बाहर उपस्थित होना व परिवादी को बाहर बुलाने के लिए कहा इस पर परिवादी को मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के बाहर भेजा । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों द्वारा मैरिज होम में बने हुए कक्ष की खिडकी के पास नियत इशारे के इंतजार में खडा हो गया और पार्किंग स्थल पर मौजूद ट्रेप पार्टी सदस्यों को निर्देशित किया। तत्पश्चात समय 01.48 पीएम. पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि प्राप्त करने का मुकर्रर इशारा प्राप्त होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान के रवाना होकर लक्ष्मी मैरिज होम कुम्हेर के बाहर पार्किंग क्षेत्र में पहुंचा तो परिवादी को पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि ये इलैक्ट्रिक स्कूटी लेके खडे हुए है ये ही राकेश कुमार गुप्ता जेईएन है इन्होंने ही अभी-अभी मेरे से स्वयं के लिए एवं एडीपीसी, जेईएन , एओ साहब से काम कराने की कहकर 7.1 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि 23,400 रूपये लेकर दोनों हाथों से गिनकर आपको देखकर स्कूटी पर पैर रखने के स्थान पर डाल दिये हैं जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय हमराहीयान के टीशर्ट पहने हुए स्कूटी के पास खडे हुए व्यक्ति के पास पहुंचा और अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री चंद्रभान गुप्ता, 509 कृष्णा नगर भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता (संविदा कर्मी) समसा ब्लॉक कुम्हेर जिला डीग होना बताया जिसे जाब्ता की मदद से डिटेन कर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैने नरेन्द्र सिंह जी राजकीय संवेदक हैं इनके द्वारा किये गये कार्यों की सुरक्षा जमा राशि को वापस दिलाने की एवज में 23,400 रूपये लिये हैं जो आपको देखकर मैंने मेरी इलैक्ट्रिक स्कूटी के पैरदान पर डाल दी। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण कुमार सैनी से उक्त रिश्वत राशि को उठवाया जाकर एवं पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू पाये गये। उक्त रिश्वती राशि को उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के लक्ष्मी मैरिज होम कुम्हेर के अन्दर प्रवेश कर एक कमरे में ले जाकर श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610 से विभागीय वीडियोकैमरा से रिकॉर्डिंग चालू कर पुनः तसल्ली देकर पूछताछ की गई तो रिश्वत राशि 7.1 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 23,400 रूपये स्वयं व कार्यालय स्टॉफ के लिये लेना बताया तत्पश्चात आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव एईएन की उपस्थिति के सम्बंध में पूछा तो आरोपी द्वारा बताया गया कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव एईएन नही जेईएन है मुझे जानकारी नही है कि वो कहां है। तत्पश्चात पास में ही उपस्थित परिवादी ने अपने व्यक्तिगत तौर पर जानकारी बताया कि चिकसाना इलाके में साइट विजिट पर गये हुए हैं जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाइल श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक को मय जाब्ता मय सरकारी वाहन बोलेरो के आरोपी श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जेईएन को तलाश कर डिटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुनः वीडियोरिकॉर्डिंग चालू कर अग्रिम कार्यवाही शुरू करते हुए ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का गिलास व तामचीनी के कटोरे को निकलवाकर मैरिज होम में रखे हुए कैम्पर से गवाह श्री सत्यप्रकाश से एक जग में पानी मंगवाकर गिलास में डलवाकर, पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के बांये हाथ की अंगूठे व अंगुलियों को उक्त घोल में डालकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एलएच-1 व एलएच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया व तामचीनी के कटोरे को गवाह श्री सत्यप्रकाश से साबुन पानी से साफ करवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से दूसरा पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को निकलवाकर मैरिज होम में रखे हुए कैम्पर से गवाह श्री सत्यप्रकाश से एक जग में पानी मंगवाकर गिलास में डलवाकर, पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया जिसमें आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के दांये हाथ की अंगूठे व अंगुलियों को उक्त घोल में डालकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आरएच-1 व आरएच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया व तामचीनी के कटोरे को गवाह सत्यप्रकाश द्वारा अच्छी तरह साबुन पानी से साफ करवाया गया। तत्पश्चात पुनः ट्रेप बॉक्स से तीसरा पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को निकलवाकर मैरिज होम में रखे हुए कैम्पर से गवाह श्री सत्यप्रकाश से एक जग में पानी मंगवाकर गिलास में डलवाकर, पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया जिसमें ट्रेप बॉक्स मे से रूई का फोया निकलवाकर इलैक्ट्रिक स्कूटी नम्बर आर जे 05 बीबी 9599 के पैर रखने के स्थान को (पैरदान) श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 द्वारा रूई के फोये से पुछवाकर रूई के फोये को गिलास में बने घोल

में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आरएफ-1 व आरएफ-2 अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत व स्कूटी को कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। तत्पश्चात रूई को फोये को सुखवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क आरएफ अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। भीडभाड इकट्ठी होने के कारण अग्रिम कार्यवाही होना संभव नही है इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेनशुदा आरोपी राकेश कुमार गुप्ता जेईएन मय मरिवादी मय हमराही जाब्ता , मय गवाहान मय रिश्वत राशि मय शील्डशुदा शीशियां मय स्कूटी नम्बर आर जे 05 बीबी 9599 मय प्राइवेट वाहनों के मौके से रवाना होकर एसीबी चौकी समय 3.20 पी.एम. पर भरतपुर पहुंचा जहां अग्रिम कार्यवाही शुरू करते हुए आरोपी राकेश कुमार गुप्ता से पुनः समझाइस की गई कि रिश्वत राशि प्राप्ति की जानकारी आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता को दें आदि पर आरोपी राकेश कुमार गुप्ता ने अपनी स्वेच्छा से तैयार हो गया तत्पश्चात समय 3.23 पी.एम. पर आरोपी राकेश कुमार गुप्ता ने अपने मोबाइल नम्बर से द्वितीय आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय के मोबाइल नम्बर पर कॉल किया गया परंतु आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कॉल को रिसीव नही किया गया । समय 3.28 पी.एम. पर आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव का कॉल आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के मोबाइल पर आया , कॉल को रिसीव करवाकर लाउड स्पीकर ऑन करवाकर वार्तालाप को विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। वार्तालाप में आरोपी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति की जानकारी आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव को देना जिस पर आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा रिश्वत राशि लेने पर सहमति देते हुए रिश्वत राशि लेने हेतु अपने आप को गांव खैमरा कला से रवाना होकर कुछ समय पश्चात ऑफिस में पहुंचना बताया जिस पर आरोपी राकेश कुमार गुप्ता को मोजूद जाब्ता की निगरानी में कार्यालय में ही छोडकर , मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय जाब्ता मय प्राइवेट वाहन के आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव को डिटेन करने हेतु समय 03.30 पी.एम. एसीबी कार्यालय से रवाना हुआ रास्ते में श्री मुनेश कुमार उपनिरीक्षक को कॉल आया जिसने बताया कि आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव सफेद रंग की कार जिसके नम्बर आर जे 05 सीसी 7326 में बैठकर भरतपुर की तरफ आ रहा है, कुछ समय पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता मय परिवादी के भरतपुर अछनेरा रोड पर सोलंकी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो देखा कि उक्त नम्बर की कार सोलंकी पेट्रोल पंप पर ईधन डलवा रही थी जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता मय परिवादी के उक्त गाडी के पास पहुंचा। परिवादी ने एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ये ही जेईएन धीरेन्द्र श्रीवास्तव हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा उसने अपना नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री रघुवंश कुमार श्रीवास्तव उम्र 52 साल जाति कायस्थ निवासी घेर नसवारिया गंगा मंदिर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर होना बताया जिनको कारण बताते हुए डिटेन कर साथ में चलने के लिए कहा तो आरोपी स्वेच्छा से राजी हो गया जिसको हमरा लेकर मय जाब्ता मय परिवादी के मौके से रवाना होकर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा व कार व अन्य सदस्यों को पेट्रोलपंप पर ही छोडा गया। आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव को जाब्ता की निगरानी में बैठाया गया। तत्पश्चात श्री संतोष कुमार हैडकानि. नं. 58 को आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव के निवास की निगरानी हेतु हिदायत देकर रवाना किया गया एवं आरोपीगण के निवास की खानातलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव से रिश्वत राशि 23,400 के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं करीब एक साल से कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय समसा भरतपुर के अतिरिक्त चार्ज पर पदस्थापित हूं। वर्ष 2022-23 में करीब 7-8 महीने मेरे पास एईएन का अतिरिक्त चार्ज भी रहा था। मेरे द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की गई है नाही मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है । उक्त पत्रावली राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता कार्य का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट कर एईएन साहब योगेश पाराशर जी के पास भेजते जहां एईएन योगेश पारासर जी मार्क कर मेरे पास भेजते मैं उसको चैक कर वापस एईएन साहब के पास भेजता तभी पास में ही उपस्थित परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने आरोपी की बातों का खंडन करते हुए कहा कि जेईएन साहब झूंठ बोल रहें हैं । जेईएन राकेश कुमार गुप्ता व धीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा मुझसे मेरे एसडी को वापस देने के एवज में 7.1 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा था जिसकी शिकायत मैंने और मेरे बेटे पिंटू सिंह ने आपके कार्यालय में दिनांक 02.02.26 को उपस्थित होकर की थी जिस पर आप द्वारा मेरे बेटे पिंटूसिंह के द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था सत्यापन में जेईएन राकेश कुमार गुप्ता द्वारा 7.1 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से रिश्वत राशि 23,400 रूपये की मांग की थी तथा दिनांक 03.02.26 को पुनः सत्यापन वार्ता जिसको आपने मेरे द्वारा करवाया गया तो सत्यापन वार्ता में जेईएन धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने 7.1 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से रिश्वत राशि को स्वयं को या जेईएन राकेश कुमार गुप्ता को देने को कहा था उक्त मांग के अनुशरण में आप द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा मेरे से रिश्वत राशि 23,400 रूपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर आपके पहुंचने पर अपनी स्कूटी के पैरदान पर डाल दी थी। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण कुमार सैनी के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 23,400 रूपये को निकलवाकर पुनः गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 46 नोट व 200-200 रूपये के 2 नोट कुल 23,400 रूपये होना पाये गये नोटों के नम्बरों

का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। नोटों का विवरण फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपीगणों से परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली के बारे में पूछा तो आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे पास कोई लंबित कार्य सम्बंधी पत्रावली नही है तथा आरोपी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि श्री नरेन्द्र सिंह के कार्य से सम्बंधित पत्रावली मेरे घर पर रखी हुई है जिस पर आरोपी राकेश कुमार गुप्ता को निर्देशित किया कि आप जरिए दूरभाष किसी से सम्पर्क कर पत्रावली को कार्यालय में मंगवायें। इस पर आरोपी राकेश कुमार गुप्ता ने जरिए दूरभाष चिराग गुप्ता से सम्पर्क कर पत्रावली को कार्यालय में लाने हेतु कहा। उक्त दोनों आरोपीगणों द्वारा मिलीभगत कर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व उसके पुत्र पिंटूसिंह से 7.1 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 23,400 रूपये रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुशरण में रिश्वत राशि 23,400 रूपये आरोपी राकेश कुमार जेईएन द्वारा प्राप्त करना एवं एसीबी टीम की भनक लगने पर रिश्वत राशि को स्कूटी के पैरदान पर डाल देना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। दौराने कार्यवाही बरामदगी रिश्वत राशि व आरोपी की स्कूटी के पैरदान की धुलाई की वीडियोग्राफी श्री दिलीप कुमार कानि. 610 द्वारा कराई गई जिसकी फर्द पृथक से तैयार की जावेगी । फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद सम्बंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात समय 05.30 पीएम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री चंद्रभान गुप्ता, उम्र 44 साल जाति वैश्य निवासी 509 कृष्णा नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता (संविदा कर्मी) समसा ब्लॉक कुम्हेर जिला डीग द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह राजकीय संवेदक एवं उसके पुत्र श्री पिंटूसिंह से उसकी फर्म द्वारा किये गये कार्यों के संदर्भ में जो एसडी (सुरक्षा जमा राशि) जमा कराई थी उक्त एसडी को देने की एवज में धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता (सिविल) मुख्यालय एवं राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता कुम्हेर ब्लॉक (संविदा कर्मी) द्वारा परिवादी नरेन्द्र सिंह एवं उसके पुत्र श्री पिंटू सिंह से 7.1 प्रतिशत के हिसाब से कुल 23,400 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 06.02.2026 को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि 23,400 रूपये को आरोपी राकेश कुमार जेईएन द्वारा प्राप्त करना एवं एसीबी टीम की भनक लगने पर रिश्वत राशि को स्कूटी के पैरदान पर डाल देना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री सत्यप्रकाश से लिवाई गई तो आरोपी के पास आरोपी के पास एक मोबाइल वन प्लस कम्पनी का जिसमें बीएसएनएल व जिओ कम्पनी की सिम डली हुई जिनके नम्बर क्रमशः एवं हैं। मोबाइल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नही मिली ना ही कब्जा एसीबी ली गई। आरोपी के मोबाइल मय सिम के एवं स्कूटी को मय स्कूटी की चाबी के आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आरोपी के मित्र चिराग गुप्ता को सुपुर्द किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना भी श्री चिराग गुप्ता को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.15 पीएम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री रघुवंश कुमार श्रीवास्तव उम्र 52 साल जाति कायस्थ निवासी घेर नसवारिया गंगा मंदिर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर होना हाल कनिष्ठ अभियंता (सिविल) मुख्यालय कार्यालय एडीपीसी समसा भरतपुर द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह राजकीय संवेदक एवं उसके पुत्र श्री पिंटूसिंह से उसकी फर्म द्वारा किये गये कार्यों के संदर्भ में जो एसडी (सुरक्षा जमा राशि) जमा कराई थी उक्त एसडी को देने की एवज में धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता (सिविल) मुख्यालय एवं राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता कुम्हेर ब्लॉक (संविदा कर्मी) द्वारा परिवादी नरेन्द्र सिंह एवं उसके पुत्र श्री पिंटू सिंह से 7.1 प्रतिशत के हिसाब से कुल 23,400 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 06.02.2026 को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि 23,400 रूपये को आरोपी राकेश कुमार जेईएन द्वारा प्राप्त करना एवं एसीबी टीम की भनक लगने पर रिश्वत राशि को स्कूटी के पैरदान पर डाल देना जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है एवं आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की सहमति जाहिर करने का उक्त कृत्य धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री सत्यप्रकाश से लिवाई गई तो आरोपी के पास आरोपी के पास एक मोबाइल मोटोरोला कम्पनी का जिसमें बीएसएनएल व जिओ कम्पनी की सिम डली हुई जिनके नम्बर क्रमशः एवं हैं। मोबाइल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नही मिली ना ही कब्जा एसीबी ली गई। आरोपी के मोबाइल को मय सिम के आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आरोपी के बेटे चित्रांश श्रीवास्तव को सुपुर्द किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना भी श्री चित्रांश श्रीवास्तव को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.00 पीएम. पर दोनो स्वतंत्र

गवाहान के समक्ष परिवादी नरेन्द्र सिंह के कार्य से संबधित पत्रावली व माप पुस्तिका श्री चिराग गुप्ता पुत्र श्री राधारमन गुप्ता जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी रंजीत नगर भरतपुर ने आरोपी के घर से लाकर कार्यालय में पेश की। पत्रावली के कवर पेज पर योजना का नाम पीएबी-2018-19 राजकीय संस्कृत प्रा0 वि0 धनवाडा कुम्हेर ब्लॉक कुम्हेर स्वीकृत राशि 35.05 लाख लिखी हुई है जिसमें पेज संख्या 01 से लेकर 60 तक निविदा के कागजात है। पेज संख्या 61 से 65 तक संवेदक को दिये गये नोटिस है। पेज संख्या 66 पर कलैक्टर साहब द्वारा जमीन आंवटन पत्र है। पेज संख्या 67 पर वर्क ऑर्डर है। पेज संख्या 69 से 75 तक परीक्षण रिपोर्ट है। पेज संख्या 76 से लेकर 95 तक एग्रीमेन्ट व स्टाम्प है। पेज संख्या 96 से लेकर 102 तक पुराने बिल भुगतान संबधी दस्तावेज है। पेज संख्या 103 से 106 तक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां है। पेज संख्या 107 से 113 तक मूल टेस्ट रिपोर्ट है। पेज संख्या 114 से लेकर 118 तक संवेदक का दूसरा बिल है जिसका भुगतान हो चुका है। पेज संख्या 119 पर तकनीकी स्वीकृती है। पेज संख्या 120 से लेकर 137 तक कार्य का डेविएशन व अन्तिम समय अवधि , पूर्णता प्रमाण पत्र है। पेज संख्या 138 से लेकर 141 तक ऑर्डरशीट संलग्न है। माप पुस्तिका जिसके कवर पेज पर जीपीएस संस्कृत धनवाडा लिखा हुआ है जिसके प्रथम पृष्ट पर स्ट्रेचिंग वर्क ऑफ जीपीएस संस्कृत धनवाडा कुम्हेर व संवेदक के नाम के आगे एमएस नरेन्द्र सिंह लिखा हुआ है। पेज नम्बर 03 पर एस एम एस ए भरतपुर माप पुस्तिका संख्या 02 लिखा है एवं खाली है नीचे राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता के हस्ताक्षर है। पेज संख्या 06 से लेकर 30 तक भरी हुई है व पेज संख्या 31 से लेकर 106 तक खाली है। पत्रावली जब्ती के संबध में जरिये मोबाईल तलबशुदा श्री अनित कुमार शर्मा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय अधिकारी भरतपुर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त पत्रावली व माप पुस्तिका पेज संख्या 01 से लेकर 31 व अन्तिम पेज 106 तक की छायाप्रति कराकर श्री अनित कुमार शर्मा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय अधिकारी भरतपुर से प्रमाणित कराकर प्रथम व अन्तिम पृष्ट पर संबधित के हस्ताक्षर करवाये गये व मूल पत्रावली व माप पुस्तिका को परिवादी के लम्बित कार्य को करने की हिदायत कर श्री अनित कुमार शर्मा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय अधिकारी भरतपुर को सुपुर्द किया गया। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चाम समय 08.00 पीएम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610 द्वारा रिश्वत राशि 23,400 रूपये की बरामदगी व आरोपी राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता (संविदा कर्मी) की स्कूटी के पैरदान की धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की चार सीडी तैयार किये जाकर सीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर तीन सीडीयों को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। फर्द वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चाम समय 08.15 पीएम. पर वक्त रिश्वत लेनेदेन वार्ता एवं मोबाइल वार्ता एवं दोनो आरोपीगणों के मध्य हुई मोबाइल वार्ता दिनांक 06.02.2026 को वॉइसरिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को जिसमें परिवादी व आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के मध्य वार्ता रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्डों में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त कार्डों में रिकार्ड वार्ताओं की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.25 पीएम. पर परिवादी नरेन्द्र सिंह व आरोपी राकेश कुमार गुप्ता के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनेदेन वार्ता एवं मोबाइल वार्ता एवं दोनो आरोपीगणों के मध्य हुई मोबाइल वार्ता दिनांक 06.02.2026 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष एक पेनड्राइव श्री दुष्यंत सिंह सहायक प्रोग्रामर से तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार करवाया गया। पेनड्राइव की और तीन पेनड्राइव भी श्री दुष्यंत सिंह सहायक प्रोग्रामर से तैयार करवायी गई। मूल पेनड्राइव एवं दो मुल्जिम पेनड्राइव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल पेनड्राइव एवं दो मुल्जिम प्रति पेनड्राइव को कपडे की थैली में अलग-अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दिनांक 06.02.2026 को दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता के कार्य में लिये गये मेमोरी कार्ड को वॉइस रिकॉर्डर में से निकाल कर सफेद कपडे की थैली में शील्ड मौहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "एम-1" अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम पेनड्राइव, मेमोरी कार्ड " एम-1" को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.10 पीएम. पर वक्त रिश्वत लेनेदेन वार्ता एवं मोबाइल वार्ता एवं दोनो आरोपीगणों के मध्य हुई मोबाइल वार्ता की आई ओ पेनड्राइव जिसमें दिनांक 06.02.26 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता हैं, उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 11.15 पीएम पर श्री जोगेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाब्ता गोकुलेश कानि. , श्री रितेश

कुमार कानि. , लोकेश कुमार कानि. एवं श्री कपिल सिंह कानि. मय सरकारी वाहन मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण राकेश कुमार गुप्ता एवं धीरेन्द्र श्रीवास्तव को वास्ते कराने स्वास्थ्य परीक्षण एवं बंद हवालात हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना मथुरागेट एवं मैडीकल ज्यूरिष्ठ आर.बी.एम.भरतपुर के पदनाम अलग-अलग तहरीर जारी कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 11.20 पीएम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को वक्त रात्रि होने से रूखसत किया गया। कार्यवाही हाजा की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को कल दिनांक 07.02.2026 को सुबह 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया एवं परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से हिदायत की गई कि आप अपने पुत्र पिंटूसिंह के साथ कार्यालय में उपस्थित होंवे। तत्पश्चात समय 11.55 पीएम. पर श्री जागेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाब्ता मय सरकारी गाडी के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा बाद करवाकर आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं बंद हवालात कर वापस कार्यालय आया। इसके बाद दिनांक 07.02.2026 को समय 09.30 एएम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री सत्यप्रकाश व श्री प्रवीण कुमार सैनी उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चाम समय 11.30 एएम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह मय सहपरिवादी अपने पुत्र श्री पिंटू सिंह के उपस्थित आये , श्री पिंटू सिंह का परिचय कार्यालय में उपस्थित पूर्व से उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप टीम से कराया गया। तत्पश्चात समय 11.35 एएम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.02.226 को सह परिवादी श्री पिंटू सिंह एवं आरोपी राकेश कुमार गुप्ता व दिनांक 03.02.2026 को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मध्य हुई वार्ता के मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर मैमोरी कार्डों में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त कार्डों में रिकार्ड वार्ताओं की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू पृथक-पृथक से निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया । तत्पश्चात समय 11.40 एएम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.02.226 को सह परिवादी श्री पिंटू सिंह एवं आरोपी राकेश कुमार गुप्ता व दिनांक 03.02.2026 को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मध्य हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष एक पेनड्राइव श्री दुष्यंत सिंह सहायक प्रोग्रामर से तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार करवाया गया। पेनड्राइव की और तीन पेनड्राइव भी श्री दुष्यंत सिंह सहायक प्रोग्रामर तैयार करवायी गई। मूल पेनड्राइव एवं दो मुल्जिम पेनड्राइव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल पेनड्राइव एवं दो मुल्जिम प्रति पेनड्राइव को कपडे की थैली में अलग-अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दिनांक 02.02.2026 व दिनांक 03.02.2026 को दौराने सत्यापन वार्ता के कार्य में लिये गये मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में शील्ड मौहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैलियों पर मार्क "एम" अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम पेनड्राइव, मेमोरी कार्ड एम को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.35 पीएम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.02.226 को सह परिवादी श्री पिंटूसिंह एवं आरोपी राकेश कुमार गुप्ता व दिनांक 03.02.2026 को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह एवं आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मध्य हुई वार्ताओं की आई ओ पेनड्राइव से ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 01.40 पीएम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 77 को परिवादी एवं सहपरिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व सह परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को अपनी फर्म नरेन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर के नाम से पीएस संस्कृत धनवाडा का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (2018-19) राजकीय संस्कृत प्राथमिक विधालय धनवाडा ब्लॉक कुम्हेर जिला भरतपुर के निर्माण के संबध में कार्य आदेश 29,18,483/- रूपये का दिनांक 01.10.2018 को प्राप्त हुआ था। उक्त कार्य के लिए जो एसडी राशि जमा कराई थी। उक्त एसडी राशि को वापस करने की एवज में आरोपीगण राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता (संविदा कर्मी) ब्लॉक कुम्हेर एवं धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता (सिविल) मुख्यालय , कार्यालय एडीपीसी समसा भरतपुर द्वारा 7.1 प्रतिशत के हिसाब से 23,400/- रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुशरण में आरोपी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 06.02.26 को परिवादी श्री नरेन्द्रसिंह से रिश्वत राशि प्राप्त करना व एसीबी टीम की भनक लगने पर रिश्वत राशि को अपनी स्कूटी के पैरदान पर पटक देना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने एवं आरोपी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव को जरिए मोबाइल कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति की सूचना देने अपनी सहमति जाहिर करने का उक्त कृत्य

अपराध धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित है एवं श्री अनित कुमार शर्मा एडीपीसी व एएओ भरत कुमार , कैशियर पुष्कर पाराशर की भूमिका संदिग्ध है जो दौराने अनुसंधान स्पष्ट होगी। आरोपीगण राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता (संविदा कर्मी) ब्लॉक कुम्हेर एवं धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता (सिविल) मुख्यालय , कार्यालय एडीपीसी समसा भरतपुर के विरूद्ध नियमानुसार धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बिना नम्बरी एफआईआर एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) में आरोपीगण 1- राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री चंद्रभान गुप्ता, उम्र 44 साल जाति वैश्य निवासी 509 कृष्णा नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता (संविदा कर्मी) समसा ब्लॉक कुम्हेर जिला डीग व 2- धीरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री रघुवंश कुमार श्रीवास्तव उम्र 52 साल जाति कायस्थ निवासी घेर नसवारिया गंगा मंदिर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर होना हाल कनिष्ठ अभियंता (सिविल) मुख्यालय कार्यालय एडीपीसी समसा भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान सिंह चौधरी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 114 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 207-11 दिनांक 08.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भरतपुर 3- जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, भरतपुर 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** GYAN SINGH CHOUDHARY **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/02/2026 20:53:09

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				
2	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)